योग्यता के अनुसार निःशुल्क एडमिशन देने की व्यवस्था की जाए। निश्चित ही, विकसित भारत के भविष्य में इन बच्चों की हिस्सेदारी तभी संभव हो पाएगी, जब इस व्यवस्था के प्रति हमारी सरकारों का ध्यान आकर्षित होगा। पिताजी के लिए समाज में बहुत प्रकार से लोगों ने बहुत कुछ कहा है। मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा:

"कभी अभिमान है तो कभी स्वाभिमान है पिता,
कभी धरती तो कभी आसमान है पिता
जन्म दिया है अगर मां ने जानेगा जग जिसे,
वह पहचान है पिता,
कभी कंधे पर बिठाकर मेला दिखाता है पिता,
कभी बनकर घोड़ा घुमाता है पिता...

अगर मां पैरों पर चलना सिखाती है, तो पैरों पर खड़ा होना सिखाता है, पिता। महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसे बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following Members associated themselves with the Zero Hour matter raised by the hon. Member, Shri Amar Pal Maurya: Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Banshilal Gurjar (Madhya Pradesh), Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade (Maharashtra), Dr. John Brittas (Kerala), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shrimati Mamata Mohanta (Odisha), Shri Sanjeev Arora (Punjab), Shrimati Jaya Amitabh Bachchan (Uttar Pradesh), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Ramji (Uttar Pradesh), Dr. Sasmita Patra (Odisha), Dr. Kanimozhi NVN Somu (Tamil Nadu), and Shri Sant Balbir Singh (Punjab).

Yamuna flood water in parts of Rajasthan

श्री घनश्याम तिवाड़ी (राजस्थान) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 1994 में 5 राज्यों के बीच यमुना जल के बंटवारे के बारे में समझौता हुआ था, वर्ष 1994 से लेकर अब तक वह 30 वर्षों तक यूं ही पड़ा रहा। मैं पिछली बार राज्य सभा में जब आया था, तब माननीय सभापति महोदय ने मुझे दो बार इस विषय को उठाने का अवसर दिया था, मैं उनको धन्यवाद दूंगा और मैं तत्कालीन जल संसाधन मंत्री, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को भी धन्यवाद दूंगा। हरियाणा, राजस्थान और भारत सरकार ने मिल कर यह समझौता कराया कि यह जो यमुना का सरप्लस फ्लड वाटर है - जो लगातार हरियाणा को मिलता है, उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो फ्लड वाटर है, उस फ्लड वाटर को विभाजित किया जाए और इसमें दोनों राज्यों के बीच में एक समझौता हो गया, जिसमें राजस्थान को चार महीने, जुलाई, अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर तक 1917 क्यूसेक फ्लड वाटर मिलेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान सरकार ने इस बार बजट में नई डीपीआर बनाने के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान

किया है और हरियाणा सरकार ने भी अपने बजट में इसकी घोषणा की है। इसमें चार लाइन पड़ेंगी, तीन राजस्थान के लिए जाएंगी, जिससे राजस्थान के चार डिस्ट्रिक्ट्स, सीकर, झुन्झुनु, चूरु और नीम का थाना में वह पानी सप्लाई होगा और 1917 क्यूसेक पानी इतना है कि हमारे यहां राजस्थान में बनास नदी जो सबसे बड़ा बांध बीसलपुर पीने के पानी के लिए बना है, उससे पांच गुना पानी होगा। इससे पूरा शेखावाटी, जो वीरों की धरती है, इसके बारे में मैंने एक बार कहा था कि -

"शेखा जी की शेखावाटी, टीबा डूंगर बालू माटी,
जन्में जाट, जंगला जांटी, बुद्धि री धूल बाणिया बांटी।।"

ऐसी जो शेखावाटी है, उस शेखावाटी के लिए यह अमृत का काम करेगा। इसके लिए दोनों सरकारों ने समझौता किया है और भारत सरकार ने इसमें 80 प्रतिशत धन देने के लिए तय किया है। इस कारण से माननयी मोदी जी और माननीय अमित शाह जी ने इसमें हस्तक्षेप किया था। इनके कारण ही तीनों का समझौता हुआ है, जो 30 साल तक पेंडिंग रहा। मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहूंगा ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The hon. Member, Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), associated himself with the Zero Hour matter raised by the hon. Member, Shri Ghanshyam Tiwari.

धन्यवाद, घनश्याम तिवाड़ी जी। माननीय श्री सामिक भट्टाचार्य।

Concern over the attempt to challenge the Writ of the Parliament by executive authority

SHRI SAMIK BHATTACHARYA (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am grateful to you for giving me this opportunity to speak here.

(MR. CHAIRMAN *in the Chair*.)

Sir, having passed by both the Houses of Parliament and signed by the hon. President of India, three new criminal laws, namely, the Bharatiya Nayaya Sanhita, the Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, what is happening in West Bengal? यह दोनों सदनों में पारित होने के बाद, जब राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए, तो West Bengal Government completely challenged this procedure. गवर्नमेंट का कहना है कि जिस तरीके से ये तीनों बिल संसद में पास कराए गए, वह unconstitutional है। And, they have formed a seven-member Committee, headed by a retired Chief Justice. सर, यह पूरा सदन ...(**व्यवधान**)...